संख्या- 8/ 762 /अडतीस-7-2014-368एनआरईजीए/2008

प्रेषक,

अरूण सिंघल,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

1 समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।
2 समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 25 मार्च, 2014

विषय- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत प्रशासनिक व्यय मद के धनराशि के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कृपया शासनादेश संख्या- 2150/अडतीस-7-2014-368एनआरईजीए/2008 दिनांक: 16 जुलाई, 2013 एवं शासनादेश संख्या-455/अडतीस-7-2014-368एनआरईजीए/2008 दिनांक: 25-02-2014 का कृपया संदर्भ लेने का कष्ट करें ।

मनरेगा योजना के लिये भारत सरकार द्वारा प्रसारित दिशा-निर्देशों में ग्राम स्तर, ब्लाक स्तर एवं जनपद स्तर पर व्यय किये जा सकने वाले प्रशासनिक व्यय की धनराशि के सम्बन्ध में कोई भी फॉट प्राविधानित नहीं है । वर्तमान में प्रदेश में मनरेगा कार्मिकों यथा- ग्राम रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक एवं अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी इत्यादि के मानदेय के भुगतान के संबंध में समस्या बनी हुई है । ईएफएमएस की व्यवस्था लागू हो जाने के पश्चात ग्राम स्तर से इन कार्मिकों के वेतन का भुगतान सम्भव नहीं है ।

उपरोक्त परिस्थितियों में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में 1/2 प्रतिशत धनराशि सोशल आडिट एवं 1/2 प्रतिशत धनराशि मुख्यालय को दिये जाने के उपरान्त अवशेष समस्त 5 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय का उपयोग क्षेत्र पंचायत स्तर से मनरेगा कार्मिकों को वेतन/मानदेय का भुगतान करने के लिये किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त राज्य मुख्यालय स्तर पर 1/2 प्रतिशत धनराशि में से अवशेष धनराशि को भी नरेगा कार्मिकों के वेतन/मानदेय के भुगतान के लिये जनपद/ विकास खण्ड स्तर पर हस्तान्तरित करके उपभोग किया जा सकता है ।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें एवं प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित करें कि प्रशासनिक व्यय की कोई भी धनराशि लैप्स न होने पाये ।

धनराशि लैप्स होने की दशा में मुख्य विकास अधिकारी एवं उपायुक्त, नरेगा व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे ।

समस्त प्रशासनिक व्यय में उपलब्ध धनराशि का उपर्युक्तानुसार उपभोग करने के पश्चात समस्त मुख्य विकास अधिकारी रोजगार गारण्टी आयुक्त को 28-03-2014 की रात्रि को सूचित करेंगे एवं रोजगार गारण्टी आयुक्त सूचना को संकलित करके आयुक्त, ग्राम्य विकास के माध्यम से शासन को प्रस्तुत करेंगे ।

भवदीय

(अरूण सिंघल)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 762 (1)/अड़तीस-7-2014-368एनआरईजीए/2008

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. **स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन ।**
2. **आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।**
3. **रोजगार गारण्टी आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश ।**
4. **निदेशक, सोशल आडिट, उत्तर प्रदेश ।**
5. **समस्त मण्डलायुक्त , उत्तर प्रदेश ।**
6. **समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।**
7. **गार्ड बुक।**

आज्ञा से

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in